समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फोन नं: 0141–2709114
email : cmsmsa2018@gmail.com
फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति. / समु.जागृ.दि. / दिशा–निर्देश / 2024–25 / दिनांक :

दिशा निर्देश
(सत्र 2024–25)
समुदाय जागृति दिवस

प्रस्तावना :–

राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन का दायित्व विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक की अध्यक्षता में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) को प्रदान किया गया है। विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकें अनिवार्य हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह बैठकें प्रत्येक माह **अमावस्या के दिन शिविरा अनुसार** आयोजित की जानी हैं। एसएमसी / एसडीएमसी की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2024-25 में SMC/SDMC की माह अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में **3 बैठकें** निर्धारित दिन को आयोजित कर, SMC/SDMC बैठक के पश्चात / पूर्व **"समुदाय जागृति दिवस"** के रूप में मनाया जाना है। इस समुदाय जागृति दिवस हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2024-25 में 51977 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹ 155.931/- लाख एवं 17424 उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु ₹ 52.272/- लाख राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही अमावस्या के दिन **गतिविधियों एवं अध्यापक–अभिभावक संघ** की बैठक का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस निम्न विषयों पर आधारित होंगे :– **बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तीकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड–डे–मील, ठहराव व उपस्थिति, बालिका शिक्षा, जनसहयोग आदि।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से

RajKaj Ref 7526047

Signature Not Verified
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

अलग–थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाना है, अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक जागृति दिवस का आयोजन यथा समय किया जाये।

सामुदायिक जागृति दिवस पर आयोजित गतिविधियों में अपने बच्चों को भाग लेते हुए देखने हेतु अभिभावक विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे, साथ ही अध्यापक–अभिभावक बैठक में अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समुदाय जागृति दिवस में नियमित कक्षा कार्य करने एवं नियमित उपस्थिति वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिया जायेगा। इन सब गतिविधियों से अभिभावकों की विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी तथा बच्चों के विद्यालय मे ठहराव भी बढ़ेगा।

1. **<u>समुदाय जागृति दिवस के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम :–</u>**

1.1 समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम निर्धारित दिन के अंतिम चार कालांशों में आयोजित किये जायेंगे।

1.2 **प्रथम दो कालांश–** माता–पिता/अभिभावकों एवं एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की उपस्थिति में **बच्चों के लिए गतिविधियॉ** आयोजित की जायेगी। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, भाषण, वाद विवाद, नृत्य, निबन्ध लेखन, श्रुतिलेखन, पत्र वाचन, चित्रकला प्रतियोगिता, पेन्टिग प्रतियोगिता, नैतिक प्रवचन आदि का आयोजन किया जायेगा। (जो निम्न विषयों से सम्बन्धित होंगे :– बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, मिड–डे–मील, नामांकन–ठहराव, जनसहयोग, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन आदि) विषयों पर चर्चा की जायेगी। इसके अलावा विद्यार्थी हित एवं रूचि के अनुसार अन्य गतिविधियॉ भी आयोजित की जा सकती हैं।

1.3 **अंतिम दो कालांश–** एसएमसी की कार्यकारिणी समिति/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी, साथ ही अभिभावक–शिक्षक बैठक (PTM) आयोजित की जायेगी जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे।

2. **समुदाय जागृति दिवस पर आयोजित की जाने वाली कार्यकारिणी समिति एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :–**

2.1 एसएमसी/एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा।

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

2.2 विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले 3–14 आयु वर्ग के अनामांकित एवं ड्राप आउट बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश की कार्ययोजना (माइक्रो प्लान) बनाना।

2.3 विद्यालय में पढ़ रहे बालक–बालिकाओं के शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना :–

- ✓ 10 बच्चों द्वारा पठन–लेखन (Reading, writing) कौशल का एसएमसी/ एसडीएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण।
- ✓ कक्षा कार्य, गृह कार्य की समीक्षा।

2.4 एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाना, साफ–सफाई, सौन्दर्यकरण आदि कार्यों में किये गये सहयोग पर चर्चा।

2.5 विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना व उसके क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करना।

2.6 विद्यालय विकास में जनसहयोग की प्राप्ति एवं उसके उपयोग पर चर्चा।

2.7 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों पर चर्चा।

2.8 मिड–डे–मील पर चर्चा।

2.9 **<u>आपदा प्रबंधन</u> :–**

<u>विद्यालयी दुर्घटनाओं के कतिपय उदाहरण–</u>

- वर्ष 2004 में तमिलनाडू में कुंभकोणम में लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में दोपहर का भोजन बनाने के दौरान लगी आग से लगभग 94 विद्यार्थियों की दर्दनाक मृत्यु हुई।
- वर्ष 2004 में आये सुनामी में हजारों की संख्या में विद्यार्थी एवं शिक्षकों को अपनी जान गवानी पड़ी।
- वर्ष 2001 में गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प में 971 विद्यर्थियों और 31 शिक्षकों की अकाल मृत्यु हुई, 1051 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 11761 विद्यालय भवन क्षतिगस्त हुये।

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

- वर्ष 1995 में हरियाणा के डबवाली में वार्षिक समारोह के दौरान लगी आग में 425 से अधिक लोगों की जाने गई जिनमें 200 से अधिक विद्यार्थी शामिल थे।
- उपर्युक्त आपदाओं के बारे में चर्चा एवं इनसे बचने के बारे में विमर्श करने से हमें ये सीख मिलेगी कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिये विद्यालय स्तर पर सुरक्षा के उपाय किये जाने की परम आवश्यकता है एवं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा–प्रबंधन की बुनियादी बातों की जानकारी होना आवश्यक हैं।

आपदा प्रबंधन पर समुदाय को शिक्षित करने का सबसे अच्छा सशक्त माध्यम विद्यार्थियों को आपदाओं के प्रति शिक्षित करना है। इनके माध्यम से अभिभावक और अन्ततः समाज शिक्षित होता है।

समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यार्थियों को भूकम्प, आग, बाढ़, बीमारियों, जैसे महामारी, सड़क सुरक्षा के नियमो पर छोटे–छोटे बचाव के टिप्स दिये जायें। साथ ही इसी दिन अभिभावकों के साथ विभिन्न आपदाओं एवं इनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम जैसे : नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पैन्टिग, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों एवं शिक्षकों विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

2.10 स्वच्छता :–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी बालिका सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई बीच में ना छोड़े। जल सफाई, हाथ धोने, शौचालय की साफ सफाई, स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहारगत परिर्वतन हेतु वांछित जानकारियाँ समुदाय जागृति दिवस के दिन अभिभावक एवं बच्चों को सम्प्रेषित की जानी चाहिए। स्वच्छता सम्बन्धी रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, गीत, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय में नर्स (एएनएम) को आमंत्रित कर किशोरी बालिकाओं को माहवारी सम्बन्धी स्वच्छता की जानकारी दिलवायी जानी चाहिए। साथ ही सामुदायिक जागृति दिवस के दिन विद्यालय की साफ–सफाई पर चर्चा हो तथा

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में कार्ययोजना बनाई जाए।

3. <u>वित्तीय एवं व्यय प्रावधान</u> : –

3.1 प्रति समुदाय जागृति दिवस ₹ 100/- व्यय का प्रावधान किया गया है अर्थात तीन बार आयोजित समुदाय जागृति दिवस के लिए प्रति विद्यालय कुल ₹ 300/- का प्रावधान किया गया है।

3.2 जिला कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से निर्धारित बजट राशि सीधे PEEO को लिमिट जारी की जायेगी।

3.3 प्रति समुदाय जागृति दिवस राशि ₹ 100/- का व्यय PEEO द्वारा SNA से संबंधित को भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा।

3.4 ₹ 100/- का उपयोग बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने के लिए किया जायेगा।

1. प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस को विद्यालय में सबसे ज्यादा नियमित आने वाले पाँच बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।
2. पुरस्कृत किये जाने वाले बच्चों का रिकार्ड विद्यालय में रखा जायेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाने वाला पुरस्कार ₹ 20/- से कम का नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विद्यालय SMC/SDMC द्वारा क्रय किये जायेंगे।

तीन समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम हेतु निर्धारित कलैण्डर

क्र.सं.	माह	कार्यक्रम का आयोजन
1	अगस्त	प्रत्येक माह की अमावस्या
2	सितम्बर	प्रत्येक माह की अमावस्या
3	दिसम्बर	प्रत्येक माह की अमावस्या

3.5 **अपरिहार्य कारणों एवं अवकाश होने की स्थिति में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकें तो उसके अगले दिन कार्यक्रम का आयोजन किया जाये।** समुदाय जागृति दिवस के दौरान आयोजित की जाने वाली एसएमसी/एसडीएमसी बैठक का रिकार्ड विद्यालय में अवलोकन के लिए

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

सुरक्षित रखा जाए। समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम आयोजन पश्चात् प्रतिवेदन एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना परिषद् को उपलब्ध करानी है।

3.6 भामाशाह एवं समुदाय से जनसहयोग प्राप्त कर यथा संभव इस गतिविधि को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

नोटः–समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन अगस्त, सितम्बर एवं दिसम्बर, 2024 तक सम्पन्न किया जाकर व्यय राशि की प्रविष्टि प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस के माह में ही प्रबन्ध पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

4. लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अविचल चतुर्वेदी)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./समु.जागृ.दि./दिशा–निर्देश/2024–25/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
11. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–1

Community awareness day

Physical and Financial Target of Districts 2024-25

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 300 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sr. Sec. Schools*	Per School @ 300 Rs.	Total School (Ele+ Sr.Sec.)	Per School @ 300 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	AJMER	1264	3.792	613	1.839	1877	5.631
2	ALWAR	1966	5.898	886	2.658	2852	8.556
3	BANSWARA	2806	8.418	521	1.563	3327	9.981
4	BARAN	1262	3.786	331	0.993	1593	4.779
5	BARMER	3908	11.724	958	2.874	4866	14.598
6	BHARATPUR	1190	3.57	593	1.779	1783	5.349
7	BHILWARA	2276	6.828	631	1.893	2907	8.721
8	BIKANER	1549	4.647	575	1.725	2124	6.372
9	BUNDI	976	2.928	291	0.873	1267	3.801
10	CHITTAURGARH	1389	4.167	439	1.317	1828	5.484
11	CHURU	857	2.571	592	1.776	1449	4.347
12	DAUSA	1145	3.435	439	1.317	1584	4.752
13	DHAULPUR	837	2.511	306	0.918	1143	3.429
14	DUNGARPUR	2284	6.852	453	1.359	2737	8.211
15	GANGANAGAR	1441	4.323	513	1.539	1954	5.862
16	HANUMANGARH	680	2.04	434	1.302	1114	3.342
17	JAIPUR	2671	8.013	1121	3.363	3792	11.376
18	JAISALMER	1065	3.195	252	0.756	1317	3.951
19	JALOR	1434	4.302	449	1.347	1883	5.649
20	JHALAWAR	1353	4.059	341	1.023	1694	5.082
21	JHUNJHUNU	998	2.994	557	1.671	1555	4.665
22	JODHPUR	2784	8.352	851	2.553	3635	10.905
23	KARAULI	1101	3.303	357	1.071	1458	4.374
24	KOTA	768	2.304	331	0.993	1099	3.297
25	NAGAUR	2233	6.699	855	2.565	3088	9.264
26	PALI	1292	3.876	558	1.674	1850	5.55
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1462	4.386	278	0.834	1740	5.22
28	RAJSAMAND	1377	4.131	363	1.089	1740	5.22
29	SAWAI MADHOPUR	772	2.316	334	1.002	1106	3.318
30	SIKAR	1336	4.008	684	2.052	2020	6.06
31	SIROHI	733	2.199	278	0.834	1011	3.033
32	TONK	1142	3.426	376	1.128	1518	4.554
33	UDAIPUR	3626	10.878	864	2.592	4490	13.47
Total		**51977**	**155.931**	**17424**	**52.272**	**69401**	**208.203**

RajKaj Ref 7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved

सामुदायिक गतिशीलता

समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम सूचना प्रपत्र

जिला–

क्र. स.	प्रथम समुदाय जागृति दिवस				द्वितीय समुदाय जागृति दिवस				तृतीय समुदाय जागृति दिवस				योग
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1													
2													

RajKaj Ref
7526047

Signature Not Verified

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.06.08 22:43:25 IST
Reason: Approved